

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, तारीख: २४ सितम्बर, २००५

अधिसूचना

सा० का० नि० 347 केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ (२००५ का २२) की धारा २४ की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, -

(१) क्रम संख्यांक १५ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(१५) सशस्त्र सीमा बल ।";

(२) क्रम संख्यांक १८ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

"(१९) विशेष संरक्षा ग्रुप ।

(२०) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ।

(२१) सीमा सड़क विकास बोर्ड ।

(२२) वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत ।"

[फा. सं. ३४०१२/१२(एस)/२००५-स्था.(बी.)]

राकेश मल्होत्रा

(राकेश मल्होत्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी

नई दिल्ली।